संख्या : 01/2019/529/आठ-4-2019-03स्मारक/2019

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,

स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की

प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति**/उपाध्यक्ष,**

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2019**

विषयः- **स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्तों के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2019-20) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वर्ष 2019-20 के लिए अधिष्ठान व्यय (वेतन व भत्ते) के भुगतान हेतु की गयी **बजट व्यवस्था रू0 18000.00 लाख (रूपये एक अरब अस्सी करोड़ मात्र)** की धनराशि आहरित एवं व्यय किये जाने हेतु आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिल को शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिल को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. धनराशि के आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।
5. व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

http://shasnadesh.up.nic.in

6. धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-01-राज्य की राजधानी का विकास-800-अन्य व्यय-05-स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्ते आदि-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)"** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या : 01/2019/529(1)/आठ-4-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
12. लेखा प्रकोष्ठ, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in